अध्याय XIX

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयूज के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों में अनुरक्षित लेखाओं ओर अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमबिन्दु को प्रदर्शित करते हैं। अत: यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर व्यवस्थापकों से समुचित और समय से उत्तर प्राप्त हों।

लोकसभा सचिवालय ने ससंद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समावेशित विभिन्न पैराग्राफो/मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई उपचारी/ सुधारात्मक कार्रवाई को दर्शाते हुए समस्त मंत्रालयों को (लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित) टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अनुरोध किया (जुलाई 1985)। ये टिप्पणियां विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम समिति (सीओपीयू) द्वारा न चुने गए पैराग्राफों/मूल्यांकनों के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत की जानी अपेक्षित थी। सीओपीयू ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन (1998-99 बारहवी लोकसभा) में उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराते समय सिफरिश की कि:

- व्यक्तिगत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई टिप्पणियों (एटीएन) के प्रस्तुतीकरण को मानीटर करने हेतु प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करना।
- विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत पीएसयूज की संख्या से सबंधित पैरोओं को समावेशित करने वाले प्रतिवेदनो के संबंध में एटीएन के प्रस्तुतीकरण को मानीटर करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मानीटरिंग सेल की स्थापना करना, और
- प्रासंगिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथि से छ: माह के अन्दर समिति को संसद में प्रस्तुत किए गए सीएजी के समस्त प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा उचित रूप से पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन का प्रस्तुतीकरण।

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते समय सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000-तेरहवीं लोक सभा) में अपनी प्रारम्भिक सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को अलग अलग उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो (वाणिज्यिक) में समाविष्ट अभ्युक्तियों पर अनेक मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई उपचारी कार्रवाई को मानीटर करने के लिए अपने स्वयं के डीपीई में एक पृथक मॉनीटरिंग सेल की स्थापना करनी चाहिए। तदनुसार सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा एटीएन के प्रस्तुतीकरण पर आगे की कार्रवाई मॉनीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मानीटरिंग सेल कार्य कर रहा है। सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन के प्रस्तुतीकरण के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के अन्दर मानीटरिंग सेलों की स्थापना की गई है।

इसके अतिरिक्त सचिवों की समिति (जून 2010) की बैठक मे सीएजी लेखापरीक्षा पैराओं तथा पीएसी की सिफारिशों पर लम्बित एटीएन/एटीआर को अगले तीन महीने के अन्दर पूरा करने के लिए विशेष प्रयास करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को सम्प्रेषित करते समय (जुलाई 2010) वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

लेखापरीक्षा में की गई एक समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पीएसयू से संबंधित विगत पॉच वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/समीक्षाओं पर उपचारी/सुधारात्मक एटीएन जैसा कि **परिशिष्ट-।।।** में ब्यौरा दिया गया है, समीक्षा के लिए लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त नही किए गए थे। 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में समाविष्ट क्रमश 3,3,8,12, ओर 25 संव्यवहार लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा पेराग्राफों/समीक्षाओं के संबंध में कोई एटीएन प्राप्त नही हुआ है। इसके अतिरिक्त मई से सितम्बर 2013 के दौरान संसद में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निहत 40 संव्यवहार लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ/समीक्षाए भी प्रतिक्षित हैं।

91 पैराओं/समीक्षाओं जिन पर एटीएन प्रतिक्षित थे, में से 24 पैराग्राफ वित्त मंत्रालय (बेंकिंग एवं बीमा डिवीजन) के अधीन पीएसयूज से संबंधित थे, 11 पैराग्राफ पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन पीएसयूज से संबंधित थे, 10 पैराग्राफ रक्षा मंत्रालय के अधीन पीएसयूज़ से संबंधित थे और 6 पैराग्राफ भारी उधोग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अधीन पीएसयूज़ से संबंधित थे।

उ० शंकर

(उषा शंकर)
उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक : 26 मई 2014

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 30 मई 2014